तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज
28/ /18	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली मे वादी को वाद स्विकार कर डिक्री किया जाता है। निर्णय निर्णय अलग से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। [signature] उपखण्ड अधिकारी कोटा।

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : मोहनलाल प्रतिहार, आर0ए0एस0

सरकार

बनाम

दुलीचन्द

प्रकरण सं0 32 / 2018

–:: वाद अन्तर्गत धारा 88, 89,व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम ::–

वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर डिकी किया जाता हैं और वादी को ग्राम देवली अरब तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं0 1268 की रकबा 0.06 है0 व खसरा नं0 1269 की रकबा 0.09 है0 कुल 0.15 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है और उक्तानुससार इन्द्राज दुरस्ती कर उपरवर्णित भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के खाते दर्ज किए जाने के आदेश किए जाते है। तहसीलदार लाडपुरा उक्तानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करवाये।

वाद के खर्चे लेखे ....₹ .... रूपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ... ₹ ... प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....₹ ..... द्वारा ..... ₹ .... को दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 28 माह 1 सन् **2019** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	प्रतिवादी	रूपये
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिये स्टाम्प 4. .....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्टेट, कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः मोहनलाल प्रतिहार, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्याः 32 / 2018(दावा)

उनवान

दुलीचन्द आ0 श्री नारायण जी जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
मृतक जरये कायम मुकामानः–
1 / 1 प्रेमशंकर पुत्र दुलीचन्द,
2 / 1 बृजमोहन पुत्र दुलीचन्द,
3 / 1 भवानीशंकर पुत्र दुलीचन्द,
4 / 1 मनोज पुत्र दुलीचन्द,
5 / 1 रानी बाई पुत्री दुलीचन्द,
6 / 1 सोनू बाई पुत्री दुलीचन्द,
7 / 1 कैलाश बाई विधवा पत्नि दुलीचन्द समस्त जाति माली निवासीगण रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील लाडपुरा जिला कोटा।
2.नगर विकास न्यास कोटा जरिये सचिव नगर विकास न्यास कोटा।

प्रतिवादीगण

(वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट)

निर्णय

दिनांक 28.1.2019

उपस्थितिः–
श्री रघुवीर सिंह राठौड, वादीगण अधिवक्ता।
श्री गोविन्द सिंह, पैरोकार सरकार।

वादी द्वारा हस्तगत वाद इस आशय का पेश किया गया है कि वादी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा का निवासी है तथा काश्तकारी पेशा व्यक्ति है। वादी के पिता श्री नारायण जी एंव उनके भाई श्री कृष्ण जी पिसरान श्री बक्शु जी जाति माली निवासी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा के खाते एंव कब्जे काश्त में साबिक खसरा नं0 649 की रकबा 7 बीघा 9

...ा कृषि आराजी दर्ज रिकॉर्ड थी जिस पर वे अपने जीवनकाल तक बहैसियत खातेदार निरन्तर ...नैक रूप से काबिज काश्त रहे। इसी प्रकार उक्त भूमि से लगवां ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की साबिक खसरा नं0 649/734 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी के पिता श्री नारायण जी आत्मज श्री बक्शु जी को नियम होकर नामान्तरकरण सं0 25 दिनांक 17.04. 1989 से वादी के पिता श्री नारायण जी की गैर खातेदारी मे दर्ज की गई जिस पर वादी के पिता श्री नारायण जी अपने जीवनकाल तक निरन्तर काबिज होकर काश्त करते रहे। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट सम्वत 2038–57 के दौरान उपरोक्त आराजियात के खसरा नं0 649 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा के हाल खसरा नं0 1271 के 0.10 है0 1274 के 0.04 है0, 1275 के 0.07है0, 1276 के 0.19 है0, 1277 के 0.14 है0, 1278 के 0.39 है0, 1279 के 0.07 है0, 1280 के 0.05 है0 कुल किता 8 के 7 बीघा 9 बिस्वा कायम किया गया है। साबिक खसरा नं0 649/734 1 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नं0 1265 के 0.15 है0, 1266 के 0.06 है0, 1268 के 0.06 है0, 1269 के 0.09 है0, 1270 के 0.01 है0 1 बीघा 3 बिस्वा कुल 5 किता रकबा 0.37 है0 कायम किए गये है।

सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट ग्राम रायपुरा कि उक्त आराजी साबिक खसरा नं0 649 की रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि 1.20 हैक्टर के बराबर के उक्त वर्णित नवीन खसरा नं0 कायम करते हुए मौके व रिकॉर्ड के विपरीत अवैध एवं गैर कानूननी रूप से किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही तथा क्षेत्रधिकार से परे जाकर मनमाने तौर पर पूर्व रकबे के मुकाबले 0.15 है रकबे की कमी करते हुए मात्र उक्त 1.05 है भूमि वादी के पिता श्री नारायण जी एवं उनके भाई श्री कृष्ण जी के वारिसान की खातेदारी में दर्ज की तथा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा साबिक ख0 न0 649/734 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी के उक्त वर्णित नवीन खसरा नं0 कायम कर खसरा नं0 1265 रकबा 0.15 है व ख0 न0 1266 रकबा 0.06 है भूमि तो पूर्व के अनुसार वादी के पिता श्री नारायण जी की गैर खातेदारी मे दर्ज कर दी तथा साबिक खसरा नं0 649/734 की रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा आराजी के उक्त रकबे मे मनमाने तौर पर किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना ही अवैध एंव गैर कानूनी रूप से बढोतरी करते हुए नवीन खसरा नं0 1268 रकबा 0.06 है ख0 न0 1269 रकबा 0.09 है व ख0 नं0 1270 रकबा 0.01 है0 कायम कर उन्हें सिवाय चक दर्ज कर दिया इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट वादी की आराजी के साबिक खं0 न0 649 की रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा 1.20 हैक्टर के बराबर भूमि में मनमाने तौर पर कमी रकबा 0.15 है करते हुए उसे नवीन समीपस्थ लगवां वादी के पिता की गैर खातेदारी की आराजी साबिक ख0 नं0 649/734 की 1 बीघा 3 बिस्वा भूमि में दर्शाकर तथा अवैध रूप से उसके रकबे को बढाकार नवीन ख0 नं0 1268 रकबा 0.06 है ख0 नं0 1269 रकबा 0.09 है व ख0 नं0 1270 रकबा 0.01 है कायम कर उक्त 0.16 है रकबे को मनमाने तौर पर सिवाय चक दर्ज दिया। जबकि यह कानूनन यह सुस्थपित सिद्धान्त है कि सेटलमेन्ट विभाग को किसी आराजी के रकबे मे कमी बेशी करने का कोई अधिकार नही है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट मौके व रिकार्ड के विपरीत वादी के साबिक ख0 नं0 649 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि 1.20 है के बराबर के नवीन ख0 नं0 कायम करते समय की गई 0.15 है रकबे की कमी कर उक्त रकबे को मौके व रिकार्ड के विपरीत साबिक खं0 नं0 649/734 में दर्शाकर ख0 नं0 1268 रकबा 0.06 है ख0 नं0 1269 रकबा 0.09 है व ख0 नं0

0 रकबा 0.01 है आराजी से कमी रकबा 0.15 है भूमि की रकबा बरारी कर अपने दर्ज खाते दर्ज
ने का अधिकारी है। वादी के पिता श्री नाराण जी व उनके भाई श्री कृष्ण जी का स्वर्गवास हो
चुका है। श्री नारायण जी के दीगर वारिसान द्वारा तथा श्री कृष्ण जी के वारिसान द्वारा उक्त वर्णित
साबिक आराजी रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा हाल दर्ज रकबा 1.05 है0 का हक त्याग वादी के पक्ष मे दर
देने से नामान्तरकरण सं0 614 दिनांक 10.05. 2010 व नामान्तरकरण सं0 899 दिनांक 04.07.2016
से उक्त भूमि वादी के तनहा खाते दर्ज रिकॉर्ड है। इसी प्रकार साबिक ख0 न0 649/734 की रकबा
1 बीघा 3 बिस्वा जिसके हाल ख0 नं0 1565 रकबा 0.15 है0 व ख0 नं0 1266 रकबा 0.06 है0
कायम हुआ है वह वादी के पिता नारायण जी के स्वर्गवास के उपरांत वादी व उसकी बहिनों बशनी
बाई रामनाथी बाई व पार्वती बाई पुत्रियां नारायण जी के शामलाती रूप से गैर खातेदारी मे दर्ज
रिकॉर्ड है जिसके संबंध मे विवाद नही है, किन्तु प्रस्तुत वाद में उक्त आराजी साबिक ख0 नं0
649/734 के विवरण की आवश्यकता होने से अंकित किया गया है। वादी के पिता श्री नारायण जी
व उनके भाई श्री कृष्ण जी उक्त वाद वर्णित आराजी साबिक ख0 नं0 649 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा
पर बहैसियत खातेदार टीनेन्ट निरन्तर वैधानिक रूप से काबिज काश्त रहे है तथा सेटलमेन्ट के बाद
भी पूर्व रकबे के कब्जे के अनुसार मौके पर अपने जीवनकाल तक निरन्तर काबिज काश्त रहे है।
उनके स्वर्गवास के उपरांत से वादी उक्त वर्णित आराजी पर मौके पर पूर्व रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा 1.
20 है के बराबर भूमि पर बहैसियत खातेदार वेधानिक रूप से काबिज काश्त है तथा वर्तमान में भी
काबिज है। वादी की उक्त भूमि पर निवास हेतु अर्सा पूर्व से मकान बना हुआ है जो वादी की
खातेदारी की भूमि मे है किन्तु हाल सेटलमेंन्ट के दौरान उक्त मकान को हाल कायम ख0 नं0 1270
रकबा 0.01 है भूमि मे दर्शाकर उसे मनमाने तौर पर सिवायचक दर्ज कर दिया गया है। इससे इस
तथ्य की पुष्टि होती है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के खाते की साबिक ख0 नं0 649 की
रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा 1.20 हैक्टर के बरबार में कमी रकबा 0.15 है0 को अवैध रूप से ख0 नं0
1268, 1270 व कुल रकबा 0.16 है कायम कर उसे गैर कानूनी रूप से सिवायचक दर्ज किया है।
जिसे वादी दुरूस्त करवाकर तथा रकबा बरारी करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है।
वादी अपनी खातेदारी की भूमि के पूर्व रकबे के अनुसार मौके पर कब्जेशुदा हाल ख0 नं0 1268
रकबा 0.06 है0 ख0 नं0 1269 रकबा 0.09 है0 व ख0 नं0 1270 रकबा 0.01 है0 भूमि पर काबिज
काश्त है सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त भूमि को मौके व कब्जे व रिकॉर्ड की स्थिति के विपरीत
सिवायचक दर्ज किया है। हाल मे उक्त आराजी को मौके व रिकॉर्ड तथा कब्जे की समुचित जांच
किये बिना ही अवैध एवं गैर कानूनी रूप से नगर विकास न्यास कोटा प्रतिवादी संख्या 2 के खाते
दर्ज कर दिया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 नगर विकास न्यास कोटा के खाते अवैध रूप से दर्ज की
गई उक्त भूमि या ऐसा कोई भी आदेश पूर्णतया अवैध गैर कानूनी होने से वादी के हितो के विपरीत
Ab into void होने से प्रभावशून्य है। वादी उक्त रकबे को दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज
करवाने का अधिकारी है। वादी प्रतिवादीगण को जरये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से भी पाबन्द
करवाने का अधिकारी है। नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त आराजी ख0 नं0 1268, 1269,
1270 पर प्रस्तावित किसी योजना की आड़ में वादी को जबरन उक्त भूमि से बेदखल करने पर
आमादा है इस कारण वादी को अपने हितों की रक्षार्थ शीघ्र वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना
आवश्यक हो गया है। वादी का वाद त्वरित अनुतोष से संबंधित होने के कारण वाद प्रस्तुत करने से

प्रतिवादीगण को नोटिस दिया जाना संभव नही है। इस कारण नोटिस को एक्जम्पट फरमाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र संलग्न कर वाद प्रस्तुत है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी के खाते की साबिक ख0 नं0 649 की 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि का रकबा कम कर देने तथा उसे 649/734 की भूमि मे दर्शाकर सिवायचक दर्ज कर देने पर तथा तदुपरन्त उक्त सिवायचक भूमि को नगर विकास न्यास कोटा के खाते दर्ज कर देने तथा नगर विकास न्यास कोटा द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रस्तावित योजना की आड़ में वादी को बेदखल करने की धमकी दिनांक 06.02.2018 को देने पर उत्पन्न हुआ है। वाद वर्णित आराजी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रस्तुत वाद का श्रवणधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वाद उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे किः—

1.कि वादी को ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल ख0 नं0 1268 रकबा 0.06 है0 ख0 नं0 1269 रकबा 0.09 है0 1270 रकबा 0.01 सिवाय चक भूमि से वादी के खातेदारी की भूमि की कमी रकबा 0.15 है0 की रकबा बरारी कर उक्त वर्णित आराजी 1268, 1269 व 1270 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावें तथा रकबा दुरूस्त कर उक्त भूमि वादी के खातेदारी में दर्ज की जावें। तद्नुसार नक्शा ट्रेस व राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती कर अमल किया जावें।

2.कि प्रतिवादीगण को जरये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द फरमाया जावें कि वो वादी के कब्जे शुदा ख0 नं0 1268, 1269, 1270 वो ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में वादी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे उक्त कृत्य न तो स्वयं करें न अपने एजेन्ट से करावे। वादी को उक्त आराजी से बेदखल नही करे तथा वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे।

3.कि अन्य न्यायोचिक सहायता जी युक्तियुक्त हो वादी को प्रदान फरमाई जावें।

वाद पेश होने के उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की जर्ये सम्मन तलवी की गई। प्रतिवादी क्रम—1 द्वारा अपनी रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि खसरा नं0 1268, 1269 व 1270 रकबा 0.16 है0 पर दुलीचन्द वगै0 काबिज काश्त है जो वर्तमान में नगर विकास न्यास के नाम दर्ज हैं। वादीगण का रकबा गत के मुकाबले कम हुआ है। प्रतिवादी क्रम—2 नगर विकास न्यास द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया कि खसरा नं0 1268 रकबा 0.06 है0 खसरा नं0 1269 रकबा 0.09 है0 खसरा नं0 1270 रकबा 0.01 है किता 3 रकबा 0.16 हैक्टयर भूमि मुतबिक रेकॉर्ड जमाबन्दी नगर विकास न्यास कोटा प्रतिवादी नं0 2 के नाम दर्ज है। नियमानुसार 40 गुना लगान जमा करने के पश्चात जिला कलेक्टर महोदय, कोटा द्वारा आदेश क्रमांक प 15 (18) राजस्व 111/2010 (8017—23) दिनांक 04.11.2010 एवं आदेश क्रमांक प 15 (18) राजस्व 112/2010 (134—40) दिनांक 12.01.2011 एवं आदेश क्रमांक प 15 (18) राजस्व 111/2010 (574—81) दिनांक 29.02.2016 से नगर विकास न्यास कोटा प्रतिवादी नं0 2 को हस्तानतरित की गई है। खसरा नं0 1268 रकबा 0.06

खसरा नं0 1269 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नं0 1270 रकबा 0.01 हैक्टयर को अन्य प्राप्त खसरा नम्बरों के साथ सम्मिलित कर जन सामान्य को सस्ती दरों पर आवासीय/व्यवसायिक भूखण्ड उपलब्ध कराने हेतु स्वामी दयानन्द सरस्वती योजना बनाकर भूखण्ड आवंटित कर दिये है। खसरा नं0 1268, 1269 व 1270 स्वामी दयानन्द सरस्वती योजना का भाग है, स्वामी दयानन्द सरस्वती योजाना प्रतिवादी नं0 द्वारा बनाई गई है। वादी को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है। वादी का विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है।

अतः प्रार्थना है कि वादी प्रतिवाद–पत्र में वर्णित अभिकथन के आधार पर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही है अतः वादी का वाद निरस्त फरमाया जावें।

उभय पक्ष के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा तनकी कायम की गई जो निम्न प्रकार है।

1.आया वादी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की साबिक खसरा नं0 649 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा 1.20 हैक्टयर के बराबर भूमि के दौराने सेटलमेन्ट कायम नवीन खसरा नं0 व दर्ज रकबा 1.05 हैक्टयर के कमी रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की पूर्ति समीपस्थ साबिक खसरा नं0 649/734 पूर्व रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के हाल कायम खसरा नं0 1265, 1266, 1268, 1269, 1270 कुल रकबा 0.37 हैक्टर में पूर्व रकबे के मुकाबले बढोतरी कर सिवायचक दर्ज किये गये हाल खसरा नं0 1268 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नं0 1269 रकबा 0.09 के खातेदारी की भूमि का कमी रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की रकबा बरारी कर उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 1268, 1269, 1270 कुल रकबा 0.16 हैक्टर भूमि को वादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस व रेकॉर्ड में तदनुसार रेकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

–वादी

2.आया वादी प्रतिवादीगण को ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा की हाल खसरा नं0 1268, 1269, व 1270 की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करने बाबत जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंन्द करवाने का अधिकारी है।

–वादी

3.आया वादी ट्रेस पासर है जिसे वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।

–प्रतिवादी नं0 2

4.अनुतोष

वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम देवली अरब संवत् 2070–73 प्रदर्श 1, जमाबंदी संवत् 2066–69 प्रदर्श–2, सरकार परत प्रदर्श–3, नक्शा प्रदर्श–4, नक्शा प्रदर्श–5, सेटलमेंट जमाबंदी संवत् 2038–57 प्रदर्श 6, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 प्रदर्श 7, सेटलमेट जमाबंदी संवत् 2038–57 खाता 148 प्रदर्श–8, जमाबंदी संवत् 2028–31 प्रदर्श–9, जमांबदी संवत्

0–73 प्रदर्श 10, जमाबंदी संवत् 2070–73 प्रदर्श–11, नामांतरकरण प्रदर्श 12, नोटशीट प्रदर्श 13, जमाबंदी प्रदर्श–14, जमाबंदी आंशिक प्रदर्श 15 जमाबंदी खाता संख्या 355 प्रदर्श–16 पेश किए है।

प्रतिवादी कम–2 द्वारा अपने प्रतिवादी के समर्थन में जिला कलक्टर कोटा का आदेश, ग्राम वाईज गोश्वारा, भूमि आबंटन आदेश, खसरा नं0 संशोधित आदेश, जमाबंदी संवत् 2070–73 प्रदर्श–1ए, से 5 पेश किए है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। तर्को पर मनन किया गया। पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है।

तनकी संख्याः–1.आया वादी ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की साबिक खसरा नं0 649 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा 1.20 हैक्टयर के बराबर भूमि के दौराने सेटलमेन्ट कायम नवीन खसरा नं0 व दर्ज रकबा 1.05 हैक्टयर के कमी रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की पूर्ति समीपस्थ साबिक खसरा नं0 649/734 पूर्व रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा के हाल कायम खसरा नं0 1265, 1266, 1268, 1269, 1270 कुल रकबा 0.37 हैक्टर में पूर्व रकबे के मुकाबले बढोतरी कर सिवायचक दर्ज किये गये हाल खसरा नं0 1268 रकबा 0.06 हैक्टर खसरा नं0 1269 रकबा 0.09 के खातेदारी की भूमि का कमी रकबा 0.15 हैक्टर भूमि की रकबा बरारी कर उक्त वर्णित आराजी खसरा नं0 1268, 1269, 1270 कुल रकबा 0.16 हैक्टर भूमि को वादी अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा नक्शा ट्रेस व रेकॉर्ड में तद्नुसार रेकॉर्ड दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य जमाबंदी प्रदर्श–8 व 9 खसरा नं0 649 की 7 बीधा 9 बिस्वा आराजी दर्ज रही है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–7 के अनुसार खसरा नं0 649 की रकबा 7 बीधा 9 बिस्वा के हाल सेटलमेट पश्चात नवीन खसरा नं0 1271, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279 व 1280 की कुल 8 किता रकबा 1.05 है0 कायम किए गये है जो गत रकबे के मुकाबले 0.15 है0 कम कायम किए गये है। उक्त विवाद के विषय में तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट रकबा बरारी अनुसार प्राप्त की गई है। तहसीलदार लाडपुरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 14.6.2018 के अनुसार भी इस बात की पुष्टि की गई है कि वादी के खाते गत रकबे के मुकाबले 0.15 है0 की कमी हुई है। तहसीलदार लाडपुरा की उक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट अनुसार रकबा बरारी करते हुऐ उक्त 0.15 है0 कमी रकबे की पूर्ति खसरा नं0 1268 की रकबा 0.06 हे0 व खसरा नं0 1269 की रकबा 0.9 है0 पर की जा सकती हैं। वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त भी है और तहसीलदार लाडपुरा की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरा नं0 1268, 1269 व 1270, 1266, 1265 की रकबा गत के मुकाबले अधिक भी दर्ज हुआ हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वादी गत रकबे के अुनसार 0.15 है0 कमी रकबे की पूर्ति में खसरा नं0 1268 व 1269 की कुल 0.15 है0 भूमि अपने खाते दर्ज करवाने व इन्द्राज दुरस्ती करवाने के अधिकारी है अतः यह तनकी वादी के पक्ष में तय पाई जाती हैं।

तनकी संख्याः–2.आया वादी प्रतिवादीगण को ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा की हाल खसरा नं0 1268, 1269, व 1270 की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी नही करने बाबत जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंन्द करवाने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर हैं। वादी खसरा नं0 1268, 1269 कुल 2 किता की 0.15 है0 पर काबिज काश्त है जो वादी के कमी रकबे की भूमि है। पूर्व तनकीयात के विवेचन में यह पाया गया है कि वादी उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है और प्रतिवादी को यह अधिकार प्राप्त नही है कि वह वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करे। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबन्द किया जाना उचित पाया जाता है। अतः यह तनकी भी वादी के पक्ष में तय पाई जाती हैं। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है।

तनकी संख्याः–3.आया वादी ट्रेस पासर है जिसे वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नही है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी कम–2 पर है। जैसा कि पूर्व तनकीयात के विवेचन में यह पाया गया है कि उक्त भूमि वादी के कमी रकबे की भूमि है जो सेटलमेट विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से सिवाय चक दर्ज की गई है। वादी उक्त भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने का अधिकारी पाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में वादी कब्जा अतिक्रमी के रूप में नही माना जा सकता है और वादी को अपने कमी रकबे की पूर्ति व खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद लाने का अधिकार प्राप्त है अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्व पाई जाती है।

तनकी संख्याः–4.अनुतोषः–चूकि तनकी संख्या 1 व 2 वादी के पक्ष में तथा तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के विरूद्व तय पाई गई है अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं और वादी को ग्राम देवली अरब तह0 लाडपुरा जिला कोटा के खसरा नं0 1268 की रकबा 0.06 है0 व खसरा नं0 1269 की रकबा 0.09 है0 कुल 0.15 है0 का खातेदार घोषित किया जाता है और उक्तानुससार इन्द्राज दुरस्ती कर उपरवर्णित भूमि राजस्व अभिलेख में वादी के खाते दर्ज किए जाने के आदेश किए जाते है। तहसीलदार लाडपुरा उक्तानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से इस न्यायालय को अवगत करवाये। डिक्री पर्चा अलग से जारी किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर की जावे। निर्णय आज दिनांक 28.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा